पहले हो उसके बाद तीन माह का नोटिस देकर सेवा-निवृत कराने का अधिकार होना चाहिये । यह भी निश्चय किया गया कि बदले में सरकारी कर्मचारियों को भी उपरोक्त आयु प्राप्त कर लेने अथवा अर्हतादायी सेवा पूरी कर लेने पर तीन माह का नोटिस दे कर सेवा-निवृत्ति ग्रहण करने का अधिकार प्रदान किया गया ।

किन्तु ऐसी सेवाओं/पदों के बारे में जिनमें प्रवेश के लिये आयु की सीमा 35 वर्ष और उससे ऊपर है, इस अधिकार का उपयोग केवल तभी किया जा सकेगा जबकि सरकारी कर्मचारी 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, अथवा उसने 25 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूरी कर ली हो । हां 55 वर्ष की आयु अथवा 25 वर्ष की सेवा में से जो भी पहले पूरी हो जाय उसके बाद इसका उपयोग किया जा सकेगा ।

इस मामले पर संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय परिषद् की पिछली बैठक में भी विचार किया गया था जो 6/7 नवम्बर 1967 को हुई थी । इस बैठक में कर्मचारी वर्ग पक्ष ने अपनी असहमति प्रकट की थी । मामले पर सरकार द्वारा आगे विचार किया जा रहा है ।

सरकारी कर्मचारी

5123. श्री शिव कुमार शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने स्वयं आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए हैं कि उनको फालतू घोषित किया जाये ;

(ख) क्या सरकार ने उनके आवेदन-पत्रों पर निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उन पर कब तक अन्तिम रूप से निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा किये गए अध्ययनों के अथवा वित्त मंत्रालय के कर्मचारी वर्ग निरीक्षण एकक द्वारा किये गए पुनर्विचार के फलस्वरूप पदों की संख्या में कमी हो जाने पर कर्मचारियों को फालतू घोषित करते समय दृढ़ता के साथ वरिष्ठता क्रम का प्रतिकूल दिशा से पालन किया जाता है । वरिष्ठ व्यक्ति स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति की मांग नहीं कर सकते । अतः स्वेच्छिक सेवा-निवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिये वे केवल स्वेच्छया सेवा-निवृत्ति की ही मांग कर सकते हैं ।

PORBANDAR-OKHA COASTAL HIGHWAY

5125. SHRI HARDAYAL DEVGUN: Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state:

(a) whether Government propose to construct a costal highway connecting Porbandar with Okha on one side and with Veraval on the other;

(b) whether Government also propose to construct a road between Miyani and Mool Madhavpur; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING (SHRI BHAKT DARSHAN): (a) to (c). The Government of Gujarat have been requesting for some time past for Central financial assistance for the development of a coastal highway along the Saurashtra Coast from Baroda to Maliya. The road sections mentioned in parts (a) & (b) form part of this coastal highway. This is a State road and the development of the proposed road Sections is primarily the responsibility of the State Government. The State Government have, however, reiterated their request for Central financial assistance under the Fourth 5-Year Plan also and have supplied some essential data in justification of the Project. This is being examined; but a decision in the matter can be taken only after the Fourth Plan Allocations have been finalised and the *inter se* priorities between